11 यूके/यूरोपीय आवेदक स्थानांतरण योजना (यूईएटीएस/UEATS)

UK

05 अगस्त 2025 को यूके ने एक **नई कानूनी योजना** की घोषणा की, जिसका नाम है **यूके/यूरोपीय आवेदक ट्रांसफर योजना**, जो उन लोगों के लिए है जो **वर्तमान में फ्रांस में** बिना कानूनी आव्रजन स्थिति के रह रहे हैं।
यह योजना एक अवसर प्रदान करती है, जिसके तहत सीमित संख्या में लोगों को यूके में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जो यूके और फ्रांस के बीच एक पायलट समझौते का हिस्सा है। सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत जितने लोगों को यूके में प्रवेश दिया जाएगा, उतने ही लोगों को फ्रांस वापस भेजा जाएगा।

कौन आवेदन करने के लिए पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप **सभी** निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

- आप इस समय फ्रांस में हैं। (होम ऑफिस आपके स्थान की पुष्टि करने के लिए कहेगा)
- आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, या आप ऐसे माता-पिता के साथ आवेदन कर रहे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है।
- आपके पास फ्रांस में कोई वैध वीज़ा, निवास या रहने की अनुमति नहीं है।
- आप किसी भी यूरोपीय देश के नागरिक नहीं हैं।
- आपको किसी अन्य देश में शरण या शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया गया है।
- आप पहले से यूके में नहीं हैं या आपने पहले अवैध रूप से यूके में प्रवेश नहीं किया है।
- आपके पास पासपोर्ट या पहचान पत्र और हाल ही में खींची गई एक फोटो है।

क्या मैं अपने परिवार के साथ आवेदन कर सकता/सकती हूं?

हां, आप एक परिवार समूह के रूप में आवेदन कर सकते हैं यदि आप:

- माता-पिता, बच्चा या साथी हैं और एक साथ आवेदन कर रहे हैं।
- एक व्यक्ति पहले आवेदन करता है और एक पारिवारिक संदर्भ संख्या प्राप्त करता है।
- अन्य सदस्य अपने आवेदन में इस संख्या का उपयोग करते हैं।
- आप सभी को एक साथ आवेदन करना होगा और अपने-अपने आवेदनों में एक-दूसरे का उल्लेख करना होगा।
- आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति होनी चाहिए।

मैं आवेदन कैसे कर सकता/सकती हूं?

आवेदन करने के लिए, इस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन अभिरुचि प्रकट करने का फॉर्म जमा करें
https://www.register-uk-european-applicant-transfer-scheme.homeoffice.gov.uk/start

- आवेदन करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वाला एक उपकरण, एक ईमेल पता और एक फोन नंबर होना चाहिए। आपको अपनी लोकेशन सत्यापित करने के लिए एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त होगा।

किसका चयन किया जाएगा?

आवेदन प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुसार चुने जाएंगे।
मुख्य मानदंड यह है कि आप "उच्च-स्वीकृति" या "उच्च-मात्रा" वाले देश के नागरिक हों। इसका अर्थ है:

- आपके देश के नागरिकों द्वारा की गई अधिकांश शरण मांगें यूके में सफल हो रही हैं; या,
- आपके देश के बहुत अधिक लोग यूके की ओर पार कर चुके हैं।
- इन मानदंडों को लागू करने के बाद, आवेदनों का चयन फिर यादृच्छिक रूप से किया जाएगा।

अगर मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या होगा?

यदि गृह कार्यालय (Home Office) आपका आवेदन चुनता है:

- आपको **यूके वीज़ा** (प्रवेश अनुमति) अधिकतम **3 महीनों** के लिए दिया जाएगा।
- आपको यूके में प्रवेश के लिए यात्रा दस्तावेज़ मिलेगा।
- **आगमन के बाद, यदि आप पात्र हैं तो शरण या किसी अन्य आव्रजन मार्ग के लिए आवेदन कर सकते हैं।**
- आवेदन करते समय आपको फ्रांस में वीज़ा केंद्र तक यात्रा का खर्च स्वयं उठाना होगा।

आपका आवेदन रद्द करना

आपका आवेदन अस्वीकार या रद्द कर दिया जाएगा यदि:

- आपके आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आप फ्रांस छोड़ देते हैं या अवैध रूप से यूके में प्रवेश करते हैं।
- आपके पास पहले से ही फ्रांस का वीज़ा है या आपको कहीं और शरण मिल चुकी है।
- आप यूके गृह कार्यालय (Home Office) के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं (जैसे बिना उचित कारण के अपनी यात्रा या वीज़ा संग्रहण की तिथि चूक जाते हैं)।
- यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो संभवतः आप सभी का आवेदन एक साथ अस्वीकार कर दिया जाएगा।

यूके शरण जानकारी	अंतिम अपडेट: 08 अगस्त 2025.	Hindi

11 यूके/यूरोपीय आवेदक स्थानांतरण योजना (यूईएटीएस/UEATS) निकासी के लिए

UK

इस नई योजना के तहत यूके से हटाए जाने के लिए कौन पात्र होगा?

नए यूके–फ्रांस समझौते के तहत, आपको यूके से केवल तभी हटाया जा सकता है यदि:

- आप फ्रांस से छोटी नाव द्वारा यूके पहुंचे हैं।
- आपने यूके में शरण का दावा नहीं किया है या आपका दावा "अस्वीकार्य" माना गया है – यानी यूके ने यह निर्णय लिया है कि वह आपके दावे की प्रक्रिया नहीं करेगा क्योंकि आपको पहले फ्रांस या किसी अन्य सुरक्षित देश में शरण का दावा करना चाहिए था।
- आपकी पहचान **यूके में आगमन के 14 दिनों के भीतर** हो जाती है।
- फ्रांस नए समझौते के नियमों के तहत आपको वापस लेने के लिए सहमत होता है।

महत्वपूर्ण! केवल बहुत कम लोगों को इस योजना के तहत स्थानांतरित करने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।

क्या हटाए जाने से पहले मुझे हिरासत में लिया जाएगा?

यह संभव है कि आपको हटाए जाने के निर्णय से पहले इमिग्रेशन डिटेंशन में रखा जा सकता है। हालांकि, कुछ लोगों को डिटेंशन में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि डिटेंशन का उन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

महत्वपूर्ण!

यदि आप:

- 18 वर्ष से कम आयु के हैं
- यातना या शोषण/आधुनिक दासता के शिकार हैं
- मानसिक स्वास्थ्य समस्या (जैसे PTSD) या कोई गंभीर शारीरिक बीमारी या विकलांगता से पीड़ित हैं
- गर्भवती हैं
- यौन/लिंग आधारित हिंसा के शिकार हैं;

तो यह बात जितनी जल्दी हो सके और अपनी शरण स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जरूर बताएं (यह वह छोटी इंटरव्यू होती है जब आप यूके पहुंचते हैं)।

स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है और इसमें कितना समय लगेगा?

- होम ऑफिस औपचारिक रूप से व्यक्ति को फ्रांस वापस भेजने का अनुरोध करेगा और व्यक्ति से संबंधित जानकारी (जैसे आपकी बायोमेट्रिक्स) भेजेगा।
- इसके बाद फ्रांस 14 से 28 दिनों के भीतर सुरक्षा जांच करेगा।
- एक बार जब फ्रांस पुष्टि कर देता है, तो यूके को यह सुनिश्चित करना होता है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया में कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।

अगर मुझे यूके में हिरासत में लिया जाता है तो मेरे अधिकार क्या हैं?

- आप डिटेंशन सेंटर से "जमानत" के लिए आवेदन कर सकते हैं। होम ऑफिस को इस अनुरोध पर निर्णय लेना होता है।
- आप डिटेंशन में आयोजित "डिटेंशन सलाह सर्जरी" में भाग ले सकते हैं, जहां आव्रजन, शरण और डिटेंशन से संबंधित मुद्दों पर मुफ्त कानूनी सलाह दी जाती है।
- आपको यह अधिकार है कि आप जमानत के लिए आवेदन करने में सहायता के लिए एक वकील ले सकते हैं, और यदि आपको "नोटिस ऑफ इंटेंट" भी मिला है, जो होम ऑफिस की ओर से एक पत्र होता है जिसमें आपको सूचित किया जाता है कि उन्होंने आपको यूके से हटाने का निर्णय लिया है।
- आप इस लिंक से एक इमिग्रेशन एडवाइज़र खोज सकते हैं https://portal.immigrationadviceauthority.gov.uk/s/adviser-finder
- यदि आप यातना के शिकार हैं या आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उसे जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट करें।

अगर मैं हिरासत में हूं तो मैं किससे संपर्क कर सकता/सकती हूं?

अगर आपको इमिग्रेशन सेंटर में हिरासत में लिया गया हो तो आप निम्नलिखित संगठनों से संपर्क कर सकते हैं:

- AVID: 08001386568, किसी भी डिटेंशन सेंटर से मुफ्त कॉल कर सकते हैं
- Humans for Rights Network: 07506663089 (उम्र विवादित बच्चों के लिए)
- लीगल सपोर्ट: Duncan Lewis Solicitors: 033 3772 0409
- JCWI: 0800 160 1004 (सोमवार, मंगलवार, गुरुवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक)
- Bail for Immigration Detainees: 020 7456 9750 (सोमवार से गुरुवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक)
- Detention Action: 0800 587 2096 (Harmondsworth और Colnbrook में हिरासत में लिए गए लोगों के लिए)
- Gatwick Detainees Welfare Group: 08003894367 (Brook House और Tinsley House में हिरासत में लिए गए लोगों के लिए)
- JRS Detention: 07856309908 (Harmondsworth और Colnbrook के लिए)
- Beyond Detention Yarls Wood: 0800 3101 992
- Care4Calais: 07482847775 (आप अपना नाम और भाषा SMS के जरिए भेज सकते हैं)
- Solidarity Detainee Support: 07438407570

Refugee Legal Support